

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/डी-16/2013/अलेसे-III/651

दिनांक :- 5.7.2022

कार्यालय आदेश

श्री दिनेश कुमार शर्मा, कनि. लेखाकार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर के द्वारा रिश्वत लेते गिरफ्तार किये जाने पर निदेशालय के आदेश सं. एफ.4(ई)(1)(6)/डी-16/2013/अलेसे-III/6259/ दिनांक 19.11.2020 के द्वारा दिनांक 26.08.2020 से निलम्बित किया जाकर मुख्यालय कोषाधिकारी, कोष कार्यालय सचिवालय, जयपुर किया गया था। श्री दिनेश कुमार शर्मा को निलम्बित हुए 6 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। श्री दिनेश कुमार शर्मा द्वारा निर्वाह भत्ता बढ़ाये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा कोषालय सचिवालय, जयपुर के पत्रांक कोष/सचि./2021-22/21 दिनांक 05.04.2022 के आधार पर राजस्थान सेवा नियम 53(II) के अनुसरण में श्री दिनेश कुमार शर्मा, कनि. लेखाकार (निलम्बित) को पूर्व में स्वीकृत निर्वाह भत्ते में 50% को नियमानुसार अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैं।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

दिनांक :- 5.7.2022

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/डी-16/2013/अलेसे-III/651

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर।
2. पुलिस अधीक्षक-द्वितीय, भ्र0 नि0 ब्यूरो, जयपुर को सूचनार्थ।
3. कार्यालय कोषाधिकारी, कार्यालय सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. एसीपी उपनिदेशक को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
6. कार्यालय तहसीलदार, कार्यालय तहसील, लालसोट जिला दौसा।
7. पदस्थापन सीट/निजी/रक्षित पत्रावली।



(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)